

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 63/2020 राजस्व अपील

1. गब्दूराम पुत्र जोहरया जाति मीणा निवासी ग्राम सीकरी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।  
रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 03.09.2020 नायब तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय अन्तर्गत मु. नं. 222/2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम गब्दू

उपस्थिति : श्री ऋद्धिचन्द शर्मा अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।  
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 26.03.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय ने अपीलान्त के खिलाफ एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्त ने ग्राम सीकरी तहसील सिकराय में स्थित आराजी भूमि खसरा नं. 269 रकबा 0.25 है. किस्म चरागाह पर सम्वत 2077 खरीफ में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा ने अपीलान्त को कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत दोष सिद्ध होने पर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा व 50 गुना शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 03.09.2020 को पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 03.09.2020 के विरुद्ध यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया एवं अतिक्रमण से सम्बन्धित वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब की गई तत्पश्चात् बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय की सामान्य प्रक्रियाओं के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही प्रकार से विवेचन नहीं करके निर्णय पारित कर कानूनी गलती की है। अपीलान्त के विरुद्ध किसी भी प्रकार के जुर्म के कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी अपीलान्त को दोषी मानते हुए दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई का



Handwritten signature and stamp of the District Collector, Dausa, Rajasthan. The signature is in blue ink and the stamp is a circular official seal.

कोई मौका नहीं दिया गया एवं मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जो कि आरबीट्रेरी व कैप्रिशियस है। अपीलान्ट ने किसी भी राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया है। अपीलान्ट ने ग्राम सीकरी तहसील सिकराय की चरागाह भूमि खसरा नं. 269 रकबा 0.25 है। पर से अपना कब्जा हटा लिये जाने एवं भविष्य में सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.09.2020 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम सीकरी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नं. 269 रकबा 0.25 है। पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर शास्ति आरोपित कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 03.09.2020 को बेदखल करने एवं 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट बार-बार अतिक्रमण कर लेता है जो कि पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमणशुदा भूमि पर से कब्जा हटा लिये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट उप तहसीलदार सिकन्दरा से प्राप्त की गई। उपतहसीलदार सिकन्दरा की वर्तमान मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट ने ग्राम सीकरी के आराजी खसरा नं. 269 पर वर्तमान में अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। मौके पर भूमि खाली है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा मुकदमा नम्बर 222/2020 सरकार बनाम गब्दूराम में पारित निर्णय दिनांक 03.09.2020 में से सिविल कारावास की सजा को स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(लोकेश कुमार मीना)  
अति० जिला कलक्टर, दौसा

(लोकेश कुमार मीना)  
अति० जिला कलक्टर, दौसा